

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 44/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 14.09.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. थिरुवल्लूर टेक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड, सं. 2-9, सिंगलंदापुरम रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 6,	फ़ा. सं. S.Misc.55/2019-EPCG-EODC दिनांक 02.06.2020	आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, न्यू हारबर इस्टेट, तूतीकोरिन.
2.	रसीपुरम-637408 नमक्कल डिस्ट्रिक्ट.	फ़ा. सं. S.Misc 52/2019-EODC-ACC दिनांक 10.12.2019	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	
3.		C. No. VIII/10/49/2019-Adjn. दिनांक 30.12.2019, दिनांक 29.05.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, न्यू हारबर इस्टेट, तूतीकोरिन.	

4.	श्री मनोज कुमार शुक्ला, B-803, आम्रपाली एडेन पार्क, F-ब्लॉक, सैक्टर-50, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201303 और 15 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/MZU/E/Int- 32/2017/Pt.-I दिनांक 27.04.2020.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
			प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा पोर्ट, मुँदरा.	
			प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हवा शेवा -V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हवा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-29/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-चेन्नई और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें